L. A. BILL No. XXIII OF 2021.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA VILLAGE PANCHAYAT ACT, AND THE MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक २३ सन् २०२१।

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम और महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक ।

क्योंकि राज्य विधानमंड़ल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

सन् १९५९ का ३ । सन् १९६२ का महा. ५। सन् २०२१ का महा. अध्या. क्र. ३।

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम और महाराष्ट्र जिला परिषद तथा पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और इसलिए, महाराष्ट्र ग्राम पंचायत और महाराष्ट्र जिला परिषद तथा पंचायत समिति (संशोधन) अध्यादेश, २०२१, २३ सितम्बर २०२१ को प्रख्यापित हुआ था ;

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

अध्याय एक
प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र ग्राम पंचायत और महाराष्ट्र जिला परिषद तथा पंचायत समिति (संशोधन) अधिनियम, २०२१ कहलाए ।

(२) यह २३ सितम्बर २०२१ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

अध्याय दो
महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम में संशोधन।

सन् १९५९ का ३ की धारा १० में संशोधन।

२. महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम (जिसे इसमें आगे, " ग्राम पंचायत अधिनियम " कहा गया है) की धारा १० की उप-धारा (२) के, खण्ड (ग) के, स्थान में, निम्न खण्ड, रखा जायेगा, अर्थात् :— सन् १९५९ का ३।

" (ग) नागरिकों के पिछड़े वर्ग के प्रवर्ग से संबंधित व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखी जानेवाली सीटें, **पंचायत** में निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली कुल संख्या के २७ प्रतिशत तक होगी और पंचायत में, कुल आरक्षण कुल सीटों के ५० प्रतिशत से अनधिक होगा और ऐसी सीटें, पंचायत में विभिन्न प्रभागों को चक्रानुक्रम पद्धति द्वारा आबंटित की जायेगी :

परंतु, संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्रों का समावेश होनेवाली पंचायत में, नागरिकों के पिछड़े प्रवर्ग से संबंधित व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखी जानेवाली सीटें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए सीटों के आरक्षण देने के पश्चात्, यदि कोई हो, शेष सीटें होगी :

परंतु यह भी कि, पंचायत में नागरिकों के पिछड़े प्रवर्ग से संबंधित व्यक्तियों के लिए आरक्षण इस खण्ड के उपबंधों के अनुसार, अनुसूचित क्षेत्रों में केवल आंशिक रूप में माना जायेगा :

परंतु यह और भी कि, इस प्रकार आरक्षित सीटों की कुल संख्या के आधी सीटें नागरिकों के पिछड़े वर्ग के प्रवर्ग से संबंधित महिला के लिए आरक्षित रखी जायेगी ; " ।

सन् १९६१ का ३ की धारा ३० में संशोधन।

३. ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा ३० की, उप-धारा (४) के, खण्ड (ख) के, स्थान में निम्न खण्ड, रखा जायेगा, अर्थात् :—

" (ख) पंचायतों में नागरिकों के पिछड़े वर्ग के प्रवर्ग से संबंधित व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखे जानेवाले सरपंचों के पद, पंचायतों में ऐसे पदों की कुल संख्या के २७ प्रतिशत तक रखे जायेंगे और पंचायतों में कुल आरक्षण कुल सीटों के ५० प्रतिशत से अधिक का नहीं होगा :

परंतु, इसप्रकार आरक्षित पदों के आधे पद नागरिकों के पिछड़े वर्ग के प्रवर्ग से संबंधित महिला के लिए आरक्षित रखे जायेंगे ; " ।

अध्याय तीन
महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ में संशोधन।

सन् १९६१ का महा. ५ की धारा १२ में संशोधन।

४. महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ (जिसे इसमें आगे " जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम " कहा गया है) की धारा १२, की उप-धारा (२) के, खण्ड (ग) के, स्थान में, निम्न खण्ड, रखा जायेगा, अर्थात् :— सन् १९६२ का महा. ५।

"(ग) **जिला परिषद** में, नागरिकों के पिछड़े वर्ग के प्रवर्ग से संबंधित व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखी जानेवाली सीटें निर्वाचन द्वारा भरी जानेवाली सीटों की कुल संख्या के २७ प्रतिशत तक होगी और **जिला परिषद** में, कुल आरक्षण, कुल सीटों के ५० प्रतिशत से अनधिक होगा तथा जिला परिषद में ऐसी सीटें विभिन्न निर्वाचक विभागों को चक्रानुक्रम द्वारा आबंटित की जायेगी :

परंतु, संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्रों का समावेश होनेवाली **जिला परिषद** में, नागरिकों के पिछड़े वर्ग के प्रवर्ग से संबंधित व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखी जानेवाली सीटें, अनुसूचित जनजाति, और अनुसूचित जाति के लिए सीटों के आरक्षण देने के पश्चात्, यदि कोई हो, शेष सीटें होगी :

परंतु आगे यह कि, **जिला परिषद** में, नागरिकों के पिछड़े वर्ग से संबंधित व्यक्तियों के लिए आरक्षण, इस खण्ड के उपबंधों के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में, केवल आंशिक रूप में, माना जायेगा ;

परंतु यह और भी कि, इस प्रकार आरक्षित सीटों में से आधी सींटे नागरिकों के पिछड़े वर्ग के प्रवर्ग से संबंधित महिला के लिए आरक्षित रखी जायेंगी ; " ।

५. **जिला परिषद** और पंचायत समिति अधिनियम की धारा ४२, की उप-धारा (४) के, खण्ड (ख) के, स्थान में, निम्न खण्ड, रखा जायेगा, अर्थात् :— सन् १९६२ का महा. ५ की धारा ४२ में संशोधन।

"(ख) **जिला परिषद** में, नागरिकों के पिछड़े वर्ग के प्रवर्ग से संबंधित व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखे जानेवाले अध्यक्षों के पद, ऐसे पदों की कुल संख्या के २७ प्रतिशत तक रखे जायेंगे और राज्य में, कुल आरक्षण, कुल सीटों के ५० प्रतिशत से अनधिक होगा :

परंतु, इसप्रकार आरक्षित पदों में से आधे पद नागरिकों के पिछड़े वर्ग के प्रवर्ग से संबंधित महिला के लिए आरक्षित रखे जायेंगे ; " ।

६. **जिला परिषद** और पंचायत समिति अधिनियम की धारा ५८, की उप-धारा (१ख) के, खण्ड (ग) के, स्थान में निम्न खण्ड, रखा जायेगा, अर्थात् :— सन् १९६२ का महा. ५ की धारा ५८ में संशोधन।

"(ग) **पंचायत समिति** में, नागरिकों के पिछड़े वर्ग के प्रवर्ग से संबंधित व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखी जानेवाली सीटें निर्वाचन द्वारा भरी जानेवाली सीटों की कुल संख्या के २७ प्रतिशत तक होगी और **पंचायत समिति** में कुल आरक्षण, कुल सीटों के ५० प्रतिशत से अनधिक होगा और ऐसी सीटें विभिन्न निर्वाचकगण को चक्रानुक्रम द्वारा आबंटित की जाएगी :

परंतु, संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्रों का समावेश होनेवाली **पंचायत समिति** में, नागरिकों के पिछड़े वर्ग से संबंधित व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखी जानेवाली सीटें, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के सीटों के आरक्षण के पश्चात्, यदि कोई हो तो शेष सीटें होगी :

परंतु आगे यह कि, इस खण्ड के उपबंधों के अनुसार **पंचायत समिति** में नागरिकों के पिछड़े वर्ग से संबंधित व्यक्तियों के लिए आरक्षण, अनुसूचित क्षेत्रों में केवल आंशिक रूप से माना जाएगा :

परंतु आगे यह कि, इसप्रकार आरक्षित सीटों की कुल संख्या के आधी सीटें नागरिकों के पिछड़े वर्ग के प्रवर्ग से संबंधित महिला के लिए आरक्षित रखी जायेंगी ; " ।

७. जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम की धारा ६७ की, उप-धारा (५) के, खण्ड (ख) के, स्थान में निम्न खण्ड, रखा जायेगा, अर्थात् :— सन् १९६२ का महा. ५ की धारा ६७ में संशोधन।

"(ख) **पंचायत समिति** में, नागरिकों के पिछड़े वर्ग के प्रवर्ग से संबंधित व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखे जानेवाले सभापति के पद, ऐसे पदों की कुल संख्या के २७ प्रतिशत तक रखे जायेंगे और राज्य में, कुल आरक्षण, कुल सीटों की संख्या के ५० प्रतिशत से अनधिक होगा :

परंतु, इसीप्रकार आरक्षित पदों में से आधे पद नागरिकों के पिछड़े वर्ग के प्रवर्ग से संबंधित महिला के लिए आरक्षित रखे जायेंगे। " ।

अध्याय चार
विविध

सन् २०२१ का महा. अध्यादेश क्रमांक ३ का निरसन तथा व्यावृत्ति।

८. (१) महाराष्ट्र ग्राम पंचायत और महाराष्ट्र जिला परिषद तथा पंचायत समिति (संशोधन) अध्यादेश, २०२१, एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है। सन् २०२१ का महा. अध्यादेश क्र. ३।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित महाराष्ट्र ग्राम पंचायत और महाराष्ट्र जिला परिषद तथा पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित सुसंगत अधिनियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी। सन् १९५९ का ३। सन् १९६२ का महा. ५।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य।

महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम (सन् १९५९ का ३) की धारा १०(२) (ग) और धारा ३०(४)(ख) तथा महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ (सन् १९६२ का महा. ५) की धारा १२(२)(ग), धारा ४२(४)(ख), धारा ५८ (१ख) (ग) और धारा ६७(५) (ख) पंचायतों में और जिला परिषदों में तथा **पंचायत समितियों** में सीटों के आरक्षण के लिए क्रमशः नागरिकों के पिछड़े वर्ग के प्रवर्ग से संबंधित व्यक्तियों के आरक्षण का उपबंध करती हैं। उक्त अधिनियम पंचायतों और जिला परिषदों तथा **पंचायत समितियों** में, निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या के २७ प्रतिशत का आरक्षण, नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए उपबंधित करते हैं।

२. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और नागरिकों के पिछड़े वर्ग के प्रवर्ग से संबंधित व्यक्तियों के लिये आरक्षण का उपबंध करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक २७ जुलाई २०१८ और १४ फरवरी २०२० की अधिसूचना तथा अन्य अधिसूचना जारी की गई थी और तद्नुसार, राज्य निर्वाचन आयोग ने **जिला परिषद** और **पंचायत समितियों** के निर्वाचनों का संचालन किया था।

३. महाराष्ट्र **जिला परिषद** और **पंचायत समिति** अधिनियम, १९६१ की धारा १२(२)(ग) के उपबंध तथा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक २७ जुलाई २०१८ और १४ फरवरी २०२० को जारी अधिसूचना में वाशिम, अकोला, नागपुर और भंडारा जिलों की **जिला परिषद** और **पंचायत समितियों** के संबंध में ५० प्रतिशत से अधिक आरक्षण का उपबंध किया है जिसे विकास किशनराव गवली **बनाम** महाराष्ट्र राज्य तथा अन्य [रिट याचिका (सिविल) सन् २०१९ का क्रमांक ९८०] में उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौति दी गई थी।

उच्चतम न्यायालय ने, दिनांकित ४ मार्च २०२१ के उनके आदेश द्वारा उक्त अधिसूचना अवैध और अनस्तित्व होनेवाले अन्य पिछड़े वर्गों के लिये सीटों के आरक्षण का जिस हद तक वह उपबंध करते हैं, उस हद तक उक्त अधिसूचना खारिज की है और इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए संबंधित स्थानीय निकायों के अनुस्मारक अवधि के लिए सामान्य/खुले प्रवर्ग के उम्मीदवारों से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तुरंत भरी जाने की घोषणा करने के कारण हुई सीटों की रिक्ति की उक्त अधिसूचना खारिज की है। उच्चतम न्यायालय ने, यह भी निर्णय दिया है कि, संबंधित स्थानीय प्राधिकरणों में अन्य पिछड़े वर्ग के पक्ष में का आरक्षण इस हद को अधिसूचित किया जा सकेगा कि, वह अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों को एक साथ के पक्ष में कुल सीटों के आरक्षण के ५० प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

४. उक्त न्यायनिर्णय के परिच्छेद १२ में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए स्थानीय निकायों में सीटों का आरक्षण करने के पूर्व, राज्य द्वारा तीन परीक्षण/शर्तों का अनुपालन किया जाना आवश्यक है:—(१) राज्य के भीतर, स्थानीय निकाय पिछड़ेपन के स्वरुप और विवक्षाओं में की समकालीन सख्त जाँच करने के लिए समर्पित आयोग स्थापित करें, (२) आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, नियोजित की जानेवाले स्थानीय निकाय को आवश्यक आरक्षण का अनुपात विनिर्दिष्ट करें ताकि अत्यधिक गलतियाँ न हों ; और (३) किसी मामले में ऐसा आरक्षण अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों को साथ लेकर के पक्ष में कुल सीटों के आरक्षण के कुल मिलाकर ५० प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

उक्त न्यायनिर्णय के अनुसरण में, सरकार ने, महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, २००५ के अधीन गठित महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को उक्त कार्य के लिए नियुक्त किया है। आयोग को, उक्त प्रयोजन के लिए समकालीन सख्त जाँच करने के लिए यथोचित समय की आवश्यकता होगी।

५. उक्त न्यायनिर्णय में के परिच्छेद २८ में, उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि, सन् १९६१ के अधिनियम की धारा १२(२)(ग) की विधिमान्यता को दी गई चुनौती नकारात्मक है। इसके बदले वह उपबंध पढ़ा जाना है कि संबंधित स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में का आरक्षण यह अधिसूचित कर सकेगा कि यह अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों को साथ लेकर आरक्षित कुल सीटों के कुल मिलाकर ५० प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। अन्य शब्दों में, अभिव्यक्ति का अर्थ, धारा १२(२) (ग) में अस्तित्व में होनेवाले पिछला २७ प्रतिशत, " हो सकेगा " के आशय में है समेत का अर्थ यह है कि अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

२७ प्रतिशत तक हो सकेगा। परंतु, अनुसूचित जाति/अनुसुचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों को साथ लेकर के पक्ष में कुल मिलाकर ५० प्रतिशत की बाह्य सीमा के अध्यधीन इस न्यायालय के संविधान न्यायपीठ द्वारा ऐसा कहा गया है।

६. उक्त न्यायनिर्णय को ध्यान में रखते हुए अन्य पिछड़े वर्गों के लिए स्थानीय प्राधिकरणों में आरक्षण नहीं हैं। स्थानीय प्राधिकरणों में अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सरकार ने, माध्यमिक उपायों के रूप में, यह विनिश्चय किया है कि **पंचायत**, **पंचायत समिति तथा जिला परिषद** में नागरिकों के पिछड़े वर्ग के प्रवर्ग से संबंधित व्यक्तियों को सीटों के २७ प्रतिशत तक आरक्षण के लिए उपबंध करने और यह उपबंध करना है कि, कुल आरक्षण स्थानीय प्राधिकरणों में कुल सीटों के ५० प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं होगा। इसलिए, महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा १०(२)(ग) और धारा ३०(४)(ख) तथा महाराष्ट्र जिला परिषद और **पंचायत समिति** अधिनियम, १९६१ की धारा १२(२)(ग), धारा ४२(४)(ख), धारा ५८ (१ख)(ग) और धारा ६७(५)(ख) में यथोचित संशोधन करना प्रस्तावित था।

७. चूँकि, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें इसमें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम और महाराष्ट्र जिला परिषद तथा पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ में अधिकतर संशोधन करना आवश्यक हुआ था, अतः महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा महाराष्ट्र ग्राम पंचायत और महाराष्ट्र जिला परिषद तथा पंचायत समिति (संशोधन) अध्यादेश २०२१, (सन २०२१ का महा. अध्यादेश क्र. ३) २३ सितम्बर २०२१ को प्रख्यापित हुआ था।

८. प्रस्तुत विधेयक का आशय उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना है।

मुंबई,
दिनांकित ११ नवम्बर, २०२१।

हसन मुश्रीफ,
ग्रामविकास मंत्री।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन,
मुंबई,
दिनांकित १ दिसंबर, २०२१।

राजेन्द्र भागवत,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा।

शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई.